न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 04/2019 – रेफरेन्स

उनवान प्रकरण

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, माण्डलगढ	बनाम	1. मोहनी बेवा छीतर ब्राह्मण निवासी देवलिया पटवार हल्का सिंगाली तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
–प्रार्थी		–विपक्षी

कार्यवाही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 रा.भू.रा. अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. पेरोकार सरकार – प्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 13-08-2020

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के रेफरेन्स/एल.आर./3580/2007/भीलवाडा सरकार बनाम छीतर निर्णय दिनांक 01.01.2019 में अंकन किया गया कि ग्राम देवलिया तहसील माण्डलगढ में स्थित साबिक आराजी खसरा नम्बर 57, 58, 67 किता 03 रकबा 4.06 बीघा भूमि जमाबंदी संवत् 2010–13 में चारभुजा जी स्थान देह पुजारी रामसुख पिता रामरतन दर्ज रिकार्ड थी। नवीन बन्दोबस्त के दौरान उक्त भू भाग के नये खसरा नम्बर 81, 138 किता 02 रकबा 5.11 बीघा कायम कर विपक्षी के पूर्वज के नाम दर्ज कर दिया। वादग्रस्त आराजी गत अभिलेख में चारभुजा जी स्थान देह की होकर मूर्ति मन्दिर की भूमि थी। मूर्ति मन्दिर की भूमि को भू प्रबन्ध विभाग ने बिना किसी आधार के विपक्षी के पूर्वज के खाते में दर्ज कर दिया गया जो नियम विरूद्व हैं। वादग्रस्त भूमि के गत खसरा नम्बर व नवीन खसरा नम्बर बाबत् मिलान क्षैत्रफल पत्रावली में उपलब्ध नहीं हैं। न ही नये व पुराने खसरा नम्बरान का मिलान करने के लिये कोई अभिलेख पत्रावली में उपलब्ध हैं।

प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता हैं कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स किसी निर्णय, आदेश, कार्यवाही के विरूद्व ही प्रस्तुत किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में किसी भी निर्णय, आदेश, कार्यवाही को निरस्त करने का अनुरोध नही किया गया है, अपितु राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी के नाम वर्तमान अंकनों को निरस्त करने का अनुरोध किया गया हैं। प्रकरण बाद परीक्षण रेफरेन्स पुनः मण्डल में प्रेषित किया जावे।

तहसीलदार माण्डलगढ से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार –

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

1. ग्राम देवलिया पटवार हल्का सिंगाली तहसील माण्डलगढ मे राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत् 2010–12 के अनुसार आराजी नं. 57, 58, 67 कीता 03 रकबा 4.06 बीघा मंदिर/मूर्ति श्री चारभुजा जी स्थान देह के नाम पर दर्ज होकर पुजारी श्री रामसुख पिता रामरतन ब्राह्मण के नाम दर्ज रिकार्ड है।
2. नवीन बंदोबस्त मे दौरान भू प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त भूमि के नवीन आराजी नं. 81, 138 किता 02 रकबा 5.11 बीघा कायम कर मांगीलाल पिता नारायण लाल ब्राह्मण निवासी सिंगोली के नाम दर्ज कर दी गयी।
3. उक्त आराजियात को विरासत से नामान्तरकरण संख्या 28 से मांगीलाल पिता नारायण लाल ब्राह्मण के बजाय छीतर पिता मांगीलाल ब्राह्मण निवासी देवलिया पटवार हल्का सिंगोली तहसील माण्डलगढ के नाम दर्ज किया गया।
4. उक्त आराजियात कीता 2 रकबा 5.11 बीघा को विरासत से नामान्तरकरण संख्या 367 दिनांक 18.01.2011 से छीतर पिता मांगीलाल ब्राह्मण के बजाय अप्रार्थी मोहनी बेवा छीतर ब्राह्मण निवासी देवलिया के नाम दर्ज किया गया जो वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2075–78 के खाता संख्या 105 पर भी दर्ज रिकार्ड है। जो नियमों के विरूद्व होने से उक्त नामान्तरकरण निरस्त योग्य हैं।

राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 46 के अनुसार मंदिरमूर्ति अवयस्क हैं, जिनके अधिकारों को कानून ने प्रोटेक्ट किया हैं और ऐसे अंकन जो अवयस्क के हितों के विपरीत हो वे सदैव शून्य, अवैध व निष्प्रभावी होते है एवं राजस्व रिकार्ड में मूर्ति के नाम पर अंकन के साथ कोई रद्दोबदल नहीं किया जा सकता हैं। ऐसी मंदिरमूर्ति को धारित भूमि किसी शाश्वत के नाम दर्ज अंतरित की जाना सर्वथा अवैध एवं शून्य हैं।

राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 46 का संक्षिप्त इस प्रकार हैं–

46 (2) त – देवता के खातेदारी अधिकार– विधि की दृष्टि में एक हिन्दू देवमूर्ति एक शाशस्वत अवयस्क हैं। माफी के पुनर्ग्रहण पर खातेदारी अधिकार पुजारी को प्राप्त नही हो सकते, परन्तु विधि के प्रवर्तन से देवमूर्ति को स्वतः ही खातेदारी अधिकार उसकी खुदकाश्त भूमि में प्राप्त हो जाते हैं। पुजारी को यदि जमीन भगवान की मूर्ति के भोग–राग के लिये दी गयी हो, तो पुजारी उस जमीन पर अपनी खातेदारी दर्ज नहीं करवा सकता हैं।

इस प्रकरण में तहसीलदार माण्डलगढ द्वारा प्रचलित लोकनीति के तहत रेफरेंस का आवेदन पेश कर साबिक रेकॉर्ड में देवता के नाम खातेदारी हक से पुजारियों के द्वारा अपने नाम पर खातेदारी अधिकार से इन्द्राज करवा लिया एवं सेटलमेंट के दौरान नवीन राजस्व रेकॉर्ड में भी मूर्ति के पुजारियों के नाम खातेदारी हक से इन्द्राज हो जाने से संज्ञान में आने पर यह रेफरेस प्रस्तुत करते हुए श्री चारभुजा जी स्थान देह के नाम पुनः इन्द्राज किए जाने का अनुतोष किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख से यह तथ्य सिद्व है कि जमाबन्दी संवत् 2010–2012 अनुसार

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

आराजी सं. 57, 58, 67 रकबा 4.06 बीघा भूमि श्री चारभुजा जी स्थान देह के नाम दर्ज रिकार्ड थी। ऐसी भूमि के लिए विपक्षी को खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किए जा सकते है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के तहत स्वीकार किया जाकर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को स्वीकृति के लिए प्रेषित किया जाना उचित प्रतीत हैं। अतएव –

आदेश

प्रार्थी तहसीलदार, माण्डलगढ की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम देवलिया पटवार हल्का सिंगाली तहसील माण्डलगढ मे राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत् 2010–12 के अनुसार आराजी नं. 57, 58, 67 कीता 03 रकबा 4.06 बीघा मंदिर/मूर्ति श्री चारभुजा जी स्थान देह के नाम पर दर्ज होकर पुजारी श्री रामसुख पिता रामरतन ब्राह्मण के नाम दर्ज रिकार्ड है। नवीन बंदोबस्त मे दौरान भू प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त भूमि के नवीन आराजी नं. 81, 138 किता 02 रकबा 5.11 बीघा कायम कर मांगीलाल पिता नारायण लाल ब्राह्मण निवासी सिंगोली के नाम दर्ज कर दी गयी। उक्त आराजियात को विरासत से नामान्तरकरण संख्या 28 से मांगीलाल पिता नारायण लाल ब्राह्मण के बजाय छीतर पिता मांगीलाल ब्राह्मण निवासी देवलिया पटवार हल्का सिंगोली तहसील माण्डलगढ के नाम दर्ज किया गया। उक्त आराजियात कीता 2 रकबा 5.11 बीघा को विरासत से नामान्तरकरण संख्या 367 दिनांक 18.01.2011 से छीतर पिता मांगीलाल ब्राह्मण के बजाय अप्रार्थी मोहनी बेवा छीतर ब्राह्मण निवासी देवलिया के नाम दर्ज किया गया जो वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2075–78 के खाता संख्या 105 पर भी दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार ग्राम देवलिया पटवार हल्का सिंगाली तहसील माण्डलगढ के साबिक खसरा नम्बर 57,58,67 रकबा 4.06 बीघा के हाल नम्बर 81,138 रकबा 5.11 बीघा जो श्री चारभुजा जी स्थान देह के नाम पर दर्ज थी जिसे भू प्रबन्ध विभाग द्वारा पुजारी के नाम विधि विरूद्व दर्ज कर दी गयी। जिसे पुनः विपक्षी मोहनी बेवा छीतर ब्राह्मण निवासी देवलिया तहसील माण्डलगढ खातेदार के नाम से हटाया जाकर श्री चारभुजा जी स्थान देह के नाम इन्द्राज कराने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स प्रेषित करने के आदेश दिए जाते है।

निर्णय आज दिनांक 13-8-.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा